नियम

(संविधान की धारा 9, 10 व 11 के अधीन)

सदस्यता-प्रपत्र-1

(1) पार्टी के सदस्यता-प्रपत्र केवल राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा ही छापे जायेंगे और राष्ट्रीय कार्यालय से ही सभी प्रदेशों को भेजे जायेंगे।

(2) सदस्यता-प्रपत्रों पर क्रमवार संख्या डाली जायेगी। यह क्रम तीन-वर्षीय काल-खण्ड के बाद फिर से प्रारम्भ होगा।

(3) भरे हुए सदस्यता-फार्मों पर सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, व सदस्यता नम्बर लिखा होना चाहिए और सम्भव हो तो मुहर लगी और दूरभाष लिखा होना चाहिए।

(4) सदस्य बनाने का उत्तरदायित्व पार्टी पदाधिकारियों का ही होगा। प्रदेश इकाइयां जिला इकाइयों को सदस्ता-प्रपत्र वितरण करेंगी। विशेष परिस्थिति में सीधे सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को भी प्रपत्र जारी किये जा सकते हैं, पर एकबार में 50 से अधिक सदस्यता-प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे। पहले जारी किये गये प्रपत्रों का पूरा हिसाब व धन जमा करा देने के बाद ही अधिक प्रपत्र जारी किये जा सकेंगे। यदि इस आशय की शिकायत हो कि जिला इकाई पत्रों का उचित वितरण नहीं कर रही है तो जांच के बाद प्रदेश इकाई/मुख्यालय उन इकाइयों और व्यक्तियों को प्रपत्र सीधे भी वितरित कर सकेगी/सकेगा और सम्बन्धित जिले को इसकी जानकारी दे दी जानी चाहिए।

(5) प्रपत्र जारी करते समय उनके प्राप्त होने के सम्बन्ध में प्रदेश/जिला/सर्कल/वार्ड/शाखा कार्यालयों द्वारा हस्ताक्षरित पावती ली जायेगी। यदि कोई इकाई/व्यक्ति अप्रयुक्त प्रपत्रों को लौटाने और/अथवा प्रयुक्त प्रपत्रों का हिसाब समय से जमा कराने मे विलम्ब करता है, तो उस पर संगठ्नात्मक कार्यवाही की जायेगा।

मतदान की पध्दति-2

'संगठ्नात्मक चुनाव की पद्धति' धारा - 14 पृष्ठ 9 से पृष्ठ 16 तक पर दर्ज के अनुसान होगें।

अनुशासनात्मक कार्यवाही-3

दंड :

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

अनुशासन भंग किये जाने पर दंड

(क) किसी समिति/कार्यकारिणी के मामले में उसको भंग कर नई समिति या कार्यकारिणी का गठन और अनुशासन भंग करने वाले सदस्य विशेष के विरुद्ध इसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही जो भी आवश्यक हो।

(ख) किसी भी समिति या कार्यकारिणी के पदाधिकारी अथवा सदस्य के मामले में उसके पद अथवा उसकी सदसयता से मुअत्तिल करना या हटाया जाना और ऐसी अवधि का निर्णय किया जाना, जिसके दौरान वह किसी भी पद पर चुना न जा सके, नामजद ना कि जा सके अथवा किसी समिति या कार्यकारिणी का सदस्य अथवा प्रारंभिक सदस्य ना हो सके।

(ग) प्राथमिक या सक्रिय सदस्य से हटाये जाने के मामले में या निष्काशित किये जाने के मामले में पार्टी सदस्य होने के नाते अगर दंडित किया हुआ व्यक्ति स्थानीय निकाय/विधानसभा/संसद सदस्य भी है तो उसे इन संस्थाओं से भी त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है। किन्तु पार्टी की 'राष्ट्रीय कार्यसमिति', 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी', 'राष्ट्रीय पार्टी संस्थापक सदस्य समिति' के पदाधिकारियों व सदस्यों अथवा पार्टी टिकट पर चुने गये स्थानीय निकाय सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और संसद सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल पार्टी की सर्वोच्च इकाई 'राष्ट्रीय कार्यसमिति' ही कर सकती है।

(घ) अनुशासन भंग किये जाने पर निम्न प्रकार दंडित किया जाएगा :

पार्टी के किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्णय के विरुध कार्य अथवा प्रचार करने पर तीन महीने के लिए पार्टी से निष्काशित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निकायों के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करने पर छः महीने के लिए पार्टी से निष्काशित कर दिया जाएगा।

पार्टी की कार्यसमिति द्वारा पारित किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा किसी आदेश का अनुपालन न करने पर छः महीने के लिए पार्टी से निष्काशित कर दिया जाएगा।

पार्टी के किसी भी वाद को बाहर किसी भी अन्य पार्टी/सत्ता के समक्ष ले जाना, जिसमें समाचार पत्र और इलैक्ट्रनिक मीडिया भी

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

शामिल है, पर तीन महीने से एक वर्ष तक के लिए निष्काशित कर दिया जाएगा।

अनाधिकृत रूप से पार्टी के लिए धन एकत्र करना, पार्टी के धन का दुरूपयोग करना तथा सदस्य बनाने अथवा पार्टी के चुनाव कराने में कदाचार करने पर एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए निष्काशित कर दिया जाएगा।

पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से कोई कार्य करने। पार्टी की किसी इकाई अथवा उसके पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रचार करने पर तीन महीने से छः महीने के लिए पार्टी से निष्काशित कर दिया जाएगा।

नैतिक पतन, काला बाजार, खाद्य सामग्री में गैर-कानूनी रूप से मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, पार्टी कोष के गबन अथवा अवैध रूप से शराब व मादक पदार्थों को बेचना जैसे जुर्मों का अपराध करने पर छः महीने से तीन वर्ष के लिए पार्टी से निष्काशित कर दिया जाएगा।

<u>अनुशासन - भंग की व्याख्या-4</u>

अनुशासन भंग करने में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

<u>'उल्लंघन :</u>

अनुशासन भंग की व्याख्या/अनुशासन भंग करने में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) पार्टी के किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्णय के विरुध कार्य अथवा प्रचार करना।

(ख) सार्वजनिक निकायों के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करना।

(ग) पार्टी की कार्यसमिति द्वारा पारित किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा किसी आदेश का अनुपालन न करना।

(घ) पार्टी के किसी भी वाद को बाहर किसी भी अन्य पार्टी/सत्ता के समक्ष ले जाना, जिसमें समाचार पत्र और इलैक्ट्रनिक मीडिया भी शामिल है।

(ड़) अनाधिकृत रूप से पार्टी के लिए धन एकत्र करना, पार्टी के धन का दुरूपयोग करना तथा सदस्य बनाने अथवा पार्टी के चुनाव कराने में कदाचार करना।

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

(च) पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से कोई कार्य करना। पार्टी की किसी इकाई अथवा उसके पदाधिकारियों के विरुध्द प्रचार करना।

(छ) नैतिक पतन, काला बाजार, चीजों में मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, पार्टी कोष के गबन अथवा अवैध रूप से शराब व मादक पदार्थों को बेचना जैसे जुर्मों का अपराध करना।

बैठकें-5

पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यतः कम से कम निम्नलिखित अवधि में होंगी :

राष्ट्रीय कार्यसमिति	तीन महिनें में एक बार
राष्ट्रीय कार्यकारिणी	वर्ष में एक बार
प्रदेश कार्यसमिति	दो महिनें में एक बार
प्रदेश कार्यकारिणी	छः महिने में एक बार
जिला कार्यसमिति	45 दिनों में एक बार
जिला कार्यकारिणी	तीन महिनें में एक बार
सर्कल व वार्ड कार्यसमिति	एक महिने में एक बार
सर्कल व वार्ड कार्यकारिणी	दो हफ्तों में एक बार
तथा शाखा/पोलिंग स्टेशन	सप्ताह में एक बार

किसी भी इकाई की बैठक की मान्य अवधि में लगातार तीन बार (तीन अवधियों में एक बार भी बैठक नही होती है तो) उक्त इकाई भंग मानी जायेगी। जो इकाइयां निष्क्रिय हो जायेंगी उन्हें, स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद, भंग करने का अधिकार राष्ट्रीय/प्रदेश कार्यसमिति को होगा।

राष्ट्रीय/प्रदेश अध्यक्ष भंग इकाइयों का काम चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था करेंगे। सामान्यः अस्थायी व्यवस्था समय तीन महिने की अवधि में उस इकाई का पुनः नियुक्त कर दिया जायेगा। यदि अस्थायी व्यवस्था के छह महिने के बाद भी चुनी हुई इकाई का गठन न हो सके तो उस अस्थायी व्यवस्था के स्थान पर नही अस्थायी व्यवस्था करनी होगी।

बैठको के लिए सूचना-6

	सामान्य बैठक	आपातकालीन बठैक
राष्ट्रीय कार्यसमिति	21 दिन	7 दिन

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी	30 दिन	10 दिन
प्रदेश कार्यसमिति	15 दिन	5 दिन
प्रदेश कार्यकारिणी	21 दिन	7 दिन
जिला कार्यसमिति	5 दिन	2 दिन
जिला कार्यकारिणी	10 दिन	3 दिन
सर्कल व वार्ड कार्यसमिति	3 दिन	1 दिन
सर्कल व वार्ड कार्यकारिणी	5 दिन	2 दिन
तथा शाखा/पोलिंग स्टेशन	1 दिन	2 घंटे

रिक्त स्थान-7

(1) अपनी इकाई की बैठक से लगातार तीन से अधिक बार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को सम्बन्धित रहने वाले सदस्य को सम्बन्धित इकाई की बैठक में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा। किन्तु इस प्रकार की होने वाली कार्यवाही की जानकारी प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति को जरूर दी जाएगी।

(2) जिस पद पर कोई नियुक्ति हुई है, वहां कोई पद रिक्त होता है और वहां कोई अन्य काबिल पार्टी का सदस्य मौजूद है, तो ऐसे में कोई पद 6 महिने से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रहेगा।

गणपूर्ति-8

समिति/कार्यकारिणी की बैठक के लिए उस इकाई की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई अथवा 10, जो भी कम हो, गणपूर्ति होगा।

संख्या के अभाव में स्थगित बैठक उसी कार्य-सूची के लिए दोबारा दिन निश्चित कर की जाएगी।

परन्तु दोबारा ऐसी बैठक के लिए संख्यापूर्ति/गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रतिनिधि-9

कोई प्रतिनिधि सम्मेलन/अधिवेशन/चुनाव के किसी सत्र अथवा बैठक में भाग नहीं ले सकेगा जब तक वह पार्टी का देय सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं कर देगा।

विभिन्न मोर्चो/प्रकोष्ठों का प्रतिनिधित्व-10

विभिन्न मोर्चों/प्रकोष्ठों की सभी इकाइयों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी की समकक्षीय कार्यसमिति के आमंत्रित सदस्य

अनिल कुमार

होंगे।

पदाधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व-11

अध्यक्ष

(1) सम्बन्धित कार्यसमिति अथवा कार्यकारिणी की बैठ्को की अध्यक्षता करना।

(2) संविधान के अनुसार अपनी कार्यसमिति / कार्यकारिणी के पदाधिकारियों / सदस्यों की नियुक्ति करना।

(3) अनिवार्य परिस्थिति में समिति/कार्यकारिणी के अधिकार का उपयोग करना। पर अगली बैठ्क में ही उस पर स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

(4) अन्य इकाईयों से बातचीत में भाग लेना या उस कार्य के लिए अपनी इकाई के प्रतिनिधि मनोनीत करना।

(6) अपनी कार्यसमिति/कार्यकारिणी की बैठक की तिथि निश्चित करना और संविधान में उल्लेखित अवधि के भीतर बैठ्क का आयोजन करना।

(7) अपनी इकाई के विभिन्न मार्चो के संयोजक/अध्यक्ष की सिफारिश/नियुक्ति करना और उनके कार्य का ताल-मेल बैठाना।

(8) अपनी इकाई, कार्यसमिति/कार्यकारिणी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यकर्ता, अध्ययन शिविरों व प्रशिक्षण सम्मेलनों का संचालन करना।

(9) पार्टी की संगठनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों तथा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कार्यसमिति/कार्यकारिणी का मार्गदर्शन करना।

(10) विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष को एक समय में नियमानुसार निम्नलिखित धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा :

राष्ट्रीय अध्यक्ष	यथोचित
प्रदेश अध्यक्ष	1,00,000 (एक लाख) रूपये
जिला अध्यक्ष	50,000 (पचास हजार) रूपये
सर्कल अध्यक्ष	30,000 (तीस हजार) रूपये
वार्ड अध्यक्ष	20,000 (बीस हजार) रूपये
शाखा अध्यक्ष	10,000 (दस हजार) रूपये
पोलिंग स्टेशन अध्यक्ष	2,000 (दो हजार) रूपये

अनिवार्य परिस्थितियों में इससे अधिक धनराशि व्यय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

कार्यकारी अध्यक्ष

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्वो का वहन करना।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन कार्यकारी अध्यक्ष करेगा।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्वो का वहन करना।

(2) अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष करेगा।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा।

उपाध्यक्ष

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्वो का वहन करना।

(2) अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा।

(3) अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा।

प्रधान महासचिव

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथियों पर बैठकों का आयोजन। इसके लिए सूचना, विषय-सूची भेजना तथा व्यवस्था करना।

(2) बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा रखना और उसे सदस्यों में वितरित करना।

(3) कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, संघर्ष एवं प्रचार की व्यवस्था करना।

(4) पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति अनुसार पार्टी के कार्यालय का संचालन करना तथा इस हेतु आवश्यक नियुक्तियां करना।

(5) अध्यक्ष तथा कार्यसमिति/कार्यकारिणी के निर्णयों का कार्यान्वयन करना।

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

महासचिव

(1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथियों पर बैठकों का आयोजन करने में, इसके लिए सूचना, विषय-सूची भेजने तथा व्यवस्था करने में प्रधान महासचिव की मदद करना।

(2) बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा रखना और उसे सदस्यों में वितरित करने में प्रधान महासचिव की मदद करना।

(3) कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, संघर्ष एवं प्रचार की व्यवस्था करने में प्रधान महासचिव की मदद करना।

(4) पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति अनुसार पार्टी के कार्यालय का संचालन करना तथा इस हेतु आवश्यक नियुक्तियां करने में प्रधान महासचिव की मदद करना।

(5) अध्यक्ष तथा कार्यसमिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने में प्रधान महासचिव की मदद करना।

(6) प्रधान महासचिव की अनुपस्थिति में उनके उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा

प्रधान सचिव

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का वहन करना तथा प्रधान महासचिव को उसके कार्यों में सहयोग देना।

सचिव

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का वहन करना तथा प्रधान सचिव को उसके कार्यों में सहयोग देना।

प्रधान कोषाध्यक्ष

(1) अपनी इकाई के आय-व्यय का ब्यौरा रखना।

(2) अपनी इकाई के आय-व्यय का आडिट/जाँच करवाना और उसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष कार्यसमिति/कार्यकारिणी को प्रस्तुत करना।

(3) अपने अधीनस्थ इकाइयों के आय-व्यय की जाँच करना।

कोषाध्यक्ष

(1) अपनी इकाई के आय-व्यय का ब्यौरा रखने में प्रधान कोषाध्यक्ष की मदद करना।

(2) अपनी इकाई के आय-व्यय का आडिट/जाँच करवाने और उसकी

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

रिपोर्ट प्रतिवर्ष कार्यसमिति/कार्यकारिणी को प्रस्तुत करने में प्रधान कोषाध्यक्ष की मदद करना।

(3) अपने अधीनस्त इकाइयों के आय-व्यय की जाँच करने में प्रधान कोषाध्यक्ष की मदद करना।

प्रवक्ता

अपनी इकाई के कार्यों के बारे में अधिकारिक रूप से व्यान देना। मीडिया द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का पार्टी की विचारधारा के साथ ताल-मेल करते हुए, अपने विवेक से मौके पर ही जवाब देना।

मीडिया प्रभारी/ मीडिया सचिव

अपनी इकाई के कार्यो, कार्यक्रमों, गतिविधियों की प्रेस विज्ञाप्त तैयार करना। पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति को प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया तक पहुंचाना।

अनुशासन समिति प्रभारी

(1) पार्टी पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा अनुशासन भंग करने जैसे कार्यों पर नजर रखना।

(2) उन्हें दोबारा अनुशासन भंग ना करने का नोटिस देना।

(3) कार्यसमिति को अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट पेश करना।

(4) अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच करना।

(5) अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ जांच कर पार्टी अध्यक्ष को उससे अवगत करवाना ताकि कोई निर्णय लिया जा सके।

चुनाव समिति प्रभारी

(1) पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था करना, व चुनाव करवाना।

(2) लोकसभा, विधानसभा, निगम वार्ड आदि चुनावों की तैयारी करना।

(3) पार्टी के उम्मीदवारों का दिशा निर्देशन करना।

(4) पार्टी उम्मीदवारों के कागजातों की जांच करना।

(5) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करना।

(6) निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरवाने

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

व शपथ पत्र दाखिल करवाने वाले पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
(7) नामांकन पत्र दाखिल करने में उम्मीदवारों की हर सम्भव मदद करना।

प्रचार समिति प्रभारी

(1) पार्टी की प्रचार सामग्री तैयार करवाना।
(2) पार्टी अध्यक्ष की आज्ञा से पार्टी की प्रचार सामग्री का वितरण भारत के सभी पदाधिकारियों को करना।
(3) पार्टी की प्रचार सामग्री के वितरण का हिसाब लेखा-जोखा रखना।

जन सम्पर्क प्रभारी

(1) पार्टी के पास अपनी समस्या लेकर या किसी और विषय को लेकर आने वाले लोगों से बातचीत करना।
(2) पार्टी के पास पत्र (लेटर) या आने वाली लिखित सामग्री को प्राप्त करना और इससे सम्बन्धित जानकारी का रजिस्टर तैयार करना।
(3) पार्टी द्वारा भेजे जाने वाले पार्टी के पत्र अपने गंतव्य(स्थान) पर बाई-हेंड पहुंचाने का कार्य संभलना एवं फैक्स/ई-मेल/डाक/कोरियर द्वारा पार्टी के पत्रों को भेजना (डिस्पेच करना)।

सदस्य पंजीयक प्रभारी

(1) पार्टी के सदस्यता फार्म-ए और सक्रिय सदस्यता फार्म-बी को तैयार करवाना।
(2) पार्टी के सदस्यता फार्म-ए और सक्रिय सदस्यता फार्म-बी का वितरण करना।
(3) पार्टी के सदस्यता फार्म-ए और सक्रिय सदस्यता फार्म-बी की जांच करना।
(4) पार्टी के सदस्यता फार्म-ए और सक्रिय सदस्यता फार्म-बी के स्वीकार करना।
(5) सदस्यता पर रोक लगाने व रद्द किये जाने वाले पार्टी के सदस्यता फार्म-ए और सक्रिय सदस्यता फार्म-बी को पार्टी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना।

पार्टी कोष-12

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

(1) कोष संग्रह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही रसीदें छपाई जायेंगी।

(2) प्रत्येक रसीद क्रमांकित होगी तथा 10, 20, 50, 100 की रसीदों की बहीयों में भी जारी की जायेंगी।

(3) प्रत्येक रसीद पर राष्ट्रीय प्रधान कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर की मुहर छापी जायेगी। संग्रहकर्ता भी प्रत्येक रसीद पर अपना स्पष्ट विवरण संभव हो तो मुहर लगा कर हस्ताक्षर करेगा।

(4) राष्ट्रीय कार्यसमिति के पास 50,000/-, प्रदेश कार्यसमिति के पास 25,000/-, जिला कार्यसमिति के पास 15,000/-, अन्य इकाईयों के पास 10,000/- रूपये से अधिक कोष होते ही हर इकाई को पार्टी का खाता बैंक में खोलना होगा। उस कार्यसमिति के अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधान कोषाध्यक्ष व प्रधान महासचिव में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरों से धन निकालने की व्यवस्था की जायेगी। अगर खाते का ए.टी. एम. कार्ड बनाया जाता है तो अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष के पास रहेगा।

(5) हिसाब का वर्ष एक अप्रैल से आरम्भ होगा।

(6) प्रत्येक इकाई के हिसाब की प्रति वर्ष उस व्यक्ति द्वारा जाँच की जायेगी, जिसे राष्ट्रीय कार्यसमिति या उससे उच्च कार्यसमिति नियुक्त करेगी।

(7) चन्दा हर इकाई में निम्न प्रकार वितरण किया जाएगा :-
राष्ट्रीय इकाई 5%, प्रदेश इकाई 8%, जिला इकाई 10%, सर्कल 12%, वार्ड 15%, शाखा 20%, पोलिंग स्टेशन 30% ।

नोट :- (क) प्रत्येक इकाई राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा जारी/छापी हुई चन्दा रसीद (कलेक्शन बुक) से पार्टी के लिए चन्दा एकत्रित कर सकती है।

(ख) प्रत्येक इकाई अपने से उच्च इकाई को उसके हिस्से का चन्दा उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार देने के लिए बाध्य है, किन्तु कोई इकाई अपने से नीचे की इकाई को अपने द्वारा एकत्रित किये चन्दे में से प्रतिशत देने के लिए बाध्य नहीं होगी। अगर कोई इकाई किसी कारण वश अपने से नीचे की इकाई को उपरोक्त के अनुसार प्रतिशत देना चाहती है, तो इस पर कोई रोक भी नहीं है, ये वरिष्ठ इकाई व उसके पदाधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है।

<u>नामांकन-पत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष / राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य पद के लिए-13</u>

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

फार्म (सी)

मैं .... के राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य पद.................................. के लिए श्री .... का नाम प्रस्तावित करता हूँ।

तिथि — प्रस्तावक के हस्ताक्षर

समय — मतदान-सूची की क्रम संख्या

मैं .... उपरोक्त नामांकन को स्वीकार करता हूँ।

तिथि — उम्मीदवार के हस्ताक्षर

समय — मतदाता सूची की क्रम-संख्या

नामांकन-पत्र स्वीकार/अस्वीकार किया गया।

कारण (संक्षेप में)

तिथि — चुनाव समिति प्रभारी के हस्ताक्षर

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

रसीद

श्री .... का नामांकन-पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य पद.................................. के लिए प्राप्त हुआ।

तिथि — चुनाव समिति प्रभारी के हस्ताक्षर

समय

पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य पद के लिए चुनाव का मतपत्र-14

फार्म (डी)

.... के पद के उम्मीदवारों के नाम

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

मैं ....सदस्य संख्या ....
पिता का नाम .... पता ....
....
.... दूरभाष ....
पार्टी में वर्तमान व पूर्व पद ....
....

राष्ट्रीय अध्यक्ष/अन्य............................ के लिए चुनाव में खडे उपरोक्त उम्मीदवारों में से श्री ....संख्या .... को राष्ट्रीय अध्यक्ष/अन्य .... के लिए अपना मत देकर चुनता हूँ।

हस्ताक्षर/दिनांक/समय

नोट :- उपरोक्त मतपत्र गुप्त रहेगा, किसी कारण वश या किसी प्रकार के विवाद/शिकायत पर केवल इसकी जांच गुप्त रूप से पार्टी के 'चुनाव समिति अधिकारी' ही करेगें।

पार्टी उम्मीदवार के टिकट हेतु आवेदन पत्र-15

फार्म (ई)

मैं .... सदस्य संख्या.................................
पता .... दूरभाष ....
एवं संसदीय क्षेत्र...................(संख्या)....., विधानसभा क्षेत्र.....................(संख्या)......

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

वार्ड/ग्राम पंचायत ....(संख्या)...., पोलिंग स्टेशन ....(संख्या)..... का निवासी हूँ। नीचे संसदीय/विधानसभा/वार्ड/अन्य क्षेत्र का नाम व संख्या भर जहां से चुनाव लडना चाहते हैं। ....(संख्या).................. स्थान से के आगामी चुनाव में उम्मीदवार होना चाहता हूं। सार्वजनिक तथा पार्टी कार्य में मेरे योगदान और पद का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

....

....

....

....

....

....(आवश्यक हो तो पृथक-पत्र लगायें) जिसके प्रमाण संलग्न है के अनुसार में उपरोक्त चुनाव में खडे होने के योग्य हूँ।

मुझे यदि उपरोक्त चुनाव लड़ने हेतु अनुमति प्रदान की गई, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं पार्टी के निर्णयों व अनुशासन का पालन करूगां।

उपरोक्त चुनाव लड़ने हेतु मुझे अनुमति न भी प्रदान की गई तब भी में पार्टी के एक अनुशासित सदस्य के रूप में कार्य करता रहूंगा।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा डाक पता ....

....

रसीद

श्री .... से .... चुनाव लड़ने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि

नाम

स्थान

मुहर

मोर्चों तथा प्रकोष्ठों के लिये नियम-16

1. आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चों तथा आवयश्कतानुसार प्रकोष्ठों के लिये अखिल भारतीय अध्यक्षों का मनोनयन करेगा।

2. आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संबंधित अखिल भारतीय मोर्चा अध्यक्ष की सलाह से उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन करेगा।

3. मोर्चे की अखिल भारतीय कार्यसमिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) सभी प्रादेशिक मोर्चा अध्यक्ष, और

(ख) अखिल भारतीय मार्चा अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यसमिति के लिए मनोनित अधिक-से-अधिक 25 सदस्य।

4. मोर्चे का अखिल भारतीय मोर्चा अध्यक्ष पार्टी के आधार पर ही पदों की नियुक्ति करेगा।

5. अन्य इकाईयां भी उस मोर्चे के अध्यक्षों की सलाह लेकर मोर्चे के

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

'आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी' सविधान एंव नियम की
एक-एक प्रति समस्त पार्टी कार्यालयों में
पढ़ने के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

कोई भी व्यक्ति पार्टी कोष में
25/- रूपये जमा कराकर
इसकी प्रति प्राप्त कर सकता है।

फिल्हाल पार्टी संविधान 'हिन्दी' भाषा में ही उपलब्ध है, भाषा के
सम्बन्ध में होने वाली परेशानी के लिए खेद है,
जल्द ही अंग्रेजी सहित भारत की 15 भाषाओं में संविधान एवं
नियम की कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

संख्या ए एम के पी /01/2009

मुद्रक : देव प्रिन्टर्स

आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी
(केन्द्रीय कार्यालय)

AMKP
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी
आजाद मज़दूर किसान पार्टी
AAZAD MAZDOOR KISSAN PARTY
फोन/मो. PH./M.
9289606112
9210727459
9250790112
9953164181
9718190180
~~फैक्स Fax~~
011-64598081
मुख्यालय : B-209, पहली ढ़लान, जे.जे. कालोनी, शिव विहार, उत्तम नगर, दिल्ली-110059
Head Office : B-209, Pahli Dhalan, J.J. Cly, Shiv Vihar, Uttam Nagar, Delhi-110059
Webside www.aazadmazdoorkissanparty.com E-mail

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

जिला/सर्कल/वार्ड अध्यक्षों को नियुक्ति करेगा।

6. युवा मोर्चे के कार्यों में सामान्यतः 35 वर्ष की आयु के आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी के सदस्य ही भाग लेंगे।

7. किसी भी मोर्चे व प्रकोष्ठ में सदस्य होने के लिए 30/–रुपये में प्राथमिक सदस्यता ली जा सकती है, किन्तु किसी भी मोर्चे व प्रकोष्ठ में पदाधिकारी होने के लिए आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी की 100/– रुपये की प्राथमिक सदस्यता लेना जरूरी होगा।

□ □ □

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी